इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 फरवरी 2015-फाल्गुन 6, शक 1936

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. एफ 1-42-2013-बावन-1.—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तिशल्प संचालनालय के अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय (लिपिकवर्गीय) अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2015 है ।
- (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं :-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त / संचालक हाथकरघा एवं हस्तिशिल्प या उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी जिसे सरकार व्दारा सेवा या पद पर नियुक्त करने के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।
- (ख) "मण्डल" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल,

- (ग) ''सिमिति'' से अभिप्रेत है, नियम 13 के अधीन गठित चयन सिमिति / विभागीय पदोन्नित सिमिति;
- (घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 में विनिर्दिष्ट चयन के लिए संचालित करने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल:
- (छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ—8—5—पच्चीस—4—84 दिनांक 26.09.1984 द्वारा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,
- (ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) ''अनुसचित जनजाति'' से अभिप्रेत हैं, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है:
- (ट) सेवा से अभिप्रेत है, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
- 3. विस्तार तथा लागू होना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची—एक में यथाउल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रुप से अथवा स्थानापन्न रुप से धारण कर रहे हों,

- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हो;
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्याः— (1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- (2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपन्न दिनांक 24.01.2008 एवं समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन समयमान वेतनमान के पात्र होंगे।
- 6. भर्ती का तरीका .—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) अनुसूची—चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा मे ऐसे पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों, जैसा कि राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपनिययम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसची—एक में यथाविनिदिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.
- (4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकतओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी,

सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं।

- 7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएंगी, अन्यथा नहीं।
- 8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते**:— प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :—
 - (1.) आयु :— (क) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी पहली जनवरी को, अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;
- (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;
 - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।यह रियायत, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
 - (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं

का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.— पद "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह माह की कालाविध तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोंमुक्त किया गया है।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:— पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालाविध तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रिजस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरुप अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) भर्ती संबधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर ; सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

- (4) ऐसे अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा मे नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों.
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे ;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरुप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो ।
- (पांच) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (छह) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में, सामान्य उच्चतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (सात) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में, उच्चतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (आठ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (नौ) उन अभ्यर्थियों के लिये, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (दस) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन—कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेवा की कालाविध के लिए सामान्य उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल होगी. किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

- टिप्पणी :(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन के लिये प्रवेश में दिया गया हो, यदि आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा से पहले या उसके बाद सेवा से त्याग—पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।
- (2) इस खण्ड में उपबंधित समस्त रियायतें सम्मिलित करते हुए समस्त श्रेणियों में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क्र. सी—3—11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 तथा दिनांक 20—11—2012 के अनुसार होगी.
 - (3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी.
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं.— अभ्यर्थी के पास, अनुसूची—तीन के कॉलम (5) में दर्शाई गई निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए ।
- (3) फीस.— अभ्यर्थी को व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.
- 9. निरर्हता.— (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधनों से समर्थन प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु रूमे पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहरा दिया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है, तो उसकी नियुक्ति को आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जायेगा.

- (5) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थियों के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा / होगी.
- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा.— चयन के लिये प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा एवं रिक्त पदों की पूर्ति राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बगैर अन्य अभ्यर्थियों से नहीं की जायगी।
- 11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन / प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि आयुक्त / संचालक हाथकरघा, समय—समय पर व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की सलाह से अवधारित करे.

- (2) परीक्षा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसा कि आयुक्त / संचालक, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प समय—समय पर, मण्डल की सलाह से जारी करें
- (3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान कमशः ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं. यह आरक्षण होरोजेन्टल (क्षैतिज) होगा.
- (4) मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिका स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.
- (6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए मण्डल द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.
- (7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां राज्य सरकार अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी तथा यह रिक्तियां अगले चयन के

लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त रखी जाएंगी

(8) परिपत्र कमांक 08—5/04/अ.प्र./एक दिनांक 31.05.2005 के अनुसार तृतीय श्रेणी संवर्ग के निःशक्तजनों के लिये (अस्थिबाधित 2 प्रतिशत, दृष्टिबाधित 2 प्रतिशत तथा श्रवण बाधित 2 प्रतिशत) आरक्षित रखी जाएंगी। आरक्षण पद्धति होरिजेंटल तथा कम्पार्टमेन्ट वाईज होगा। इस आरक्षण के अधीन नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को 100 बिन्दु संबंधित प्रवर्ग (रोस्टर) के समक्ष दर्शाया जायेगा।

12. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.-

- (1) मण्डल, उन अभ्यर्थियों की योग्यताकृम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि मण्डल अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं या जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मण्डल द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों। नियुक्ति ऐसे रोस्टर से नियमों के अनुसार की जायेगी।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जॉच करने के पश्चात, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.
- (4) नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा.
- (5) चयन सूची मण्डल द्वारा उसके जारी किये जाने कि तारीख से एक वर्ष की कालाविध के लिये विधिमान्य रहेगी. जिसकी अविध आगामी 6 माह तक मण्डल की सहमित से बढ़ाई जा सकेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति .-

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिये अनुसूची—चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी:

परंतु यदि पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में विभागीय पदोन्नित समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थित का अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नित समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नित समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

- (2) विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जिसमें साधारणतः सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 02.06.2013 एवं दिनांक 12.05.2014 के अनुसार 06 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा.
- (3) अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदों पर पदोन्नित के लिए अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नित द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्ते.-

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उस पद पर, जिससे पदोन्नित की जानी है या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पदों पर उतनें वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों:

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ से ऊपर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लिखित विहित सेवा पूर्ण कर ली है. (2) पदोन्नित के लिए विचारण क्षेत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे ।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-

- (1) विभागीय पदोन्नित समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझे गए हों, यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति /पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी
- (2) प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कालम (2) तथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वतर चयन के आधार पर ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।
- (3) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, जो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.
- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

16. चयन सूची.—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित चयन सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता साधारणतया एक वर्ष की कालाविध के लिए प्रवृत्त रहेगी किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालाविध से परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निवर्हन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.--

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (केडर) के पदों पर नियुक्तियां वरिष्ठता क्रम तथा रोस्टर के अनुसार की जाएंगी, आरक्षित पद किसी अन्य संवर्ग से नहीं भरे जाएंगे।

टिप्पणी.—चयन सूची के लिए प्रक्रिया तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता और रिक्त पद मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नित नियम, 2002 तथा परिपत्र दिनांक 6—7—2002 के अनुसार अग्रनीत किए जाएंगे।

- 18. परिवीक्षा.— सेवा में के किसी संवर्ग में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, दो वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।
- 19. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.
- 20. शिथिलीकरण.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये कम अनुकूल हो. ٦٤,

- 21. व्यावृत्ति.— इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.
- 22. निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त मध्यप्रदेश हाथकरघा अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1984 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुसुम ठाकुर, उपसचिव.

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिए) वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलत पदों की संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान
	का नाम	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अधीक्षक	01	मध्यप्रदेश	9300-34800+3600
			हाथकरघा एवं	
			संचालनालय	
			अराजपत्रित	
			(लिपिक वर्गीय)	
2	सहायक अधीक्षक	06	तदैव	9300-34800+3200
3	निज सहायक	04	तदैव	9300-34800+3600
4	शीघ्रलेखक	04 .	तदैव	5200-20200+2800
5	सहायक ग्रेड-एक	09	तदैव	5200-20200+2800
6	*सहायक ग्रेड-दो	50	तदैव	5200-20200+2400
7	सहायक ग्रेड—तीन	58	तदैव	5200-20200+1900
8	स्टेनोटायपिस्ट	06	तदैव	5200-20200+1900
9	वाहन चालक	05	तदैव	5200-20200+1900

नोट :- * लेखापाल / सहायक ग्रेड-दो को एक ही संवर्ग में रखे जाने के निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में लेखापाल पद सहायक ग्रेड-दो से पदोन्नति का पद होने से लेखापाल पद पर पदस्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता सहायक ग्रेड-दो के ऊपर निर्धारित होगी।

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए)

विभाग का	सेवा में सम्मिलित पद	पदों	भरे जान	वाले पदों की प्रतिशतता	संख्या की	अभियुक्ति
नाम	का नाम	की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों	
			(नियम 6 (1) (क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
			•		(नियम 6 (1) (ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हाथकरघा	मध्यप्रदेश हाथक			ाजपत्रित		
संचालनालय	(लि	पिकवर्गी	य) सेवा			
	1. अधीक्षक	01		100 प्रतिशत		
	2. सहायक अधीक्षक	06	-	100 प्रतिशत		
	3. निज सहायक	04		.100 प्रतिशत		
	4. शीघ्रलेखक	04	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
	5. सहायक ग्रेड-एक	09		१०० प्रतिशत		
	6. *सहायक ग्रेड—दो	50		१०० प्रतिशत		
	7. सहायक ग्रेड—तीन	58	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		चतुर्थ श्रेणी के अर्हतादायी कर्मचारियों की
						पदोन्नति द्वारा
	 स्टेनोटायपिस्ट 	06	100 प्रतिशत			
	9. वाहन चालक	05	100 प्रतिशत			

नोट :- * लेखापाल / सहायक ग्रेड-दो को एक ही संवर्ग में रखे जाने के निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में लेखापाल पद सहायक ग्रेड-दो से पदोन्नति का पद होने से लेखापाल पद पर पदस्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता सहायक ग्रेड-दो के ऊपर निर्धारित होगी।

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
हाथकरघा	मध्यप्रदेश हा			
संचालनालय	संचालना			
	अराजपि			
	(लिपिकवर्गीय		•	
	सहायक ग्रेड—तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण।
				2. मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द गति से उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
				निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।
				(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा
				(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्यविद्यालय से डिप्लोमा
	·		. *	(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर परीक्षा
				(4) शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट कोर्स
	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण।

11:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			:	1	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन 100 शब्द	
			,	-	तथा मुद्रलेखन में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट गति से	
					परीक्षा उत्तीर्ण	
					लिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में	,
					केसी एक संस्था से कम्प्यूटर । उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।	
					(1) विश्वविद्यालय अनुदान	
					आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से	
	7				डिप्लोमा	
					(2) विश्वविद्यालय अनुंदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त	
		÷	•	٠	समस्त मुक्त	
		,			विश्यविद्यालय से डिप्लोमा	
				-	(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से	
					ें डिप्लोमा स्तर परीक्षा	
					(4) शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन	•
					आफिस मेनेजमेंट कोर्स	
4.0	रेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष		10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत	
					हायर सेकेण्डरी (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण।	
·					मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी	
		·.			मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द गति / अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा	
-					30 शब्द गति से उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं	
					आनपाय ६ अ/आई.टी.आई. से ८० शब्द	
					प्रति मिनट की गति से हिन्दी	
				i	शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने	
10	-			1	का प्रमाण पत्र अथवा ब / मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं	
				-	मुद्रलेखन परिषद् अथवा	
	-				मान्यताप्रापत अन्य संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से	
			·		हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण	
					होने का प्रमाण पत्र; अथवा	

					(1) विश्वविद्यालय अनुदान
					आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त
		i			किसी विश्वविद्यालय से
-					डिप्लोमा
]	(२) विश्वविद्यालय अनुदान
					आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त
					समस्त मुक्त विश्यविद्यालय
					से डिप्लोमा
				1	(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से
					डिप्लोमा स्तर परीक्षा
				1	(4) शासकीय पोलिटेविनक
					महाविद्यालय से मार्डन
			,		आफिस मेनेजमेंट कोर्स
	वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	1.	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत
					हायर सेकेण्डरी (12वीं) की
					परीक्षा उत्तीर्ण।
			•	2.	वाहन संचालन का वैद्य ड्रायविंग
					लायसेंस

अनुसूची—चार (नियम 14 देखिए)

विभाग का	उस सेवा या पद का	उस सेवा या पद	पदोन्नति	विभागीय पदोन्नति समिति क
नाम	नाम जिससे पदोन्नति			सदस्यों के नाम
	की जानी हो	पर पदोन्नति की		
		जानी हो	न्यूनतम	
		VII II QI	अवधि अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हाथकरघा	(2)	(0)	. (4)	1. अतिरिक्त संचालक /
संचालनालय				संयुक्त संचालक ग्रामोद्योग
Vialetine				हाथकरघा / तकनीकी
				—अध्यक्ष
	·			2. संयुक्त संचालक / उप
		•		संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा
				/ तकनीकी
				–सदस्य
				3. संयुक्त संचालक / उप
				संचालक ग्रामोद्योग स्थापना
	ř			शाखा का भारसाधक
				–सदस्य
1	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	05 वर्ष	तदैव
2	सहायक ग्रेड-एक	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	तदैव
3	सहायक ग्रेड–दो	सहायक ग्रेड-एक	05 वर्ष	तदैव
4	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड–दो	०५ वर्ष	तदैव
5	शीघ्रलेखक	निज सहायक	05 वर्ष	तदैव
6	स्टेनोटायपिस्ट	शीघ्रलेखक	०५ वर्ष	तदैव
7	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड-तीन	05 वर्ष	तदैव
,	भृत्य / चौकीदार			

कुसुम ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. F-1-42-2013-LII-1.—

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitments and Service Conditions of the members of the Directorates of Handlooms and Handicrafts Madhya Pradesh, Non-Gazetted (Ministerial) Service, namely:-

RULES

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Directorate of Handloom and Handicrafts Non-Gazetted (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2015.
 - (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service means Commissioner / Director, Handlooms and Handicraft or any officer subordinate to him to whom the powers of appointment to service or post have been delegated by the State Government;
 - (b) Board" means the Professional Examination Board, Bhopal;
 - (c) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee as specified under rule 13;
 - (d) "Examination" means a competitive examination conducted for selection as specified in rule 11;
 - (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
 - (f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

- (g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F 85/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (h) "Schedule" means the schedules appended to these rules;
- (i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (j) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (k) "Service" means the Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicrafts Non-Gazetted (Ministerial) Service;
- (1) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- 3. Scope and application. Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every members of the Service as mentioned in Schedule-I.
- **4. Constitution of the Service.** The Service shall consist of the following persons. namely: -
- (a) the persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;
- (b) the persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (c) the persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification of Service, Scale of Pay and Noumber of posts.— (1) The classification of the service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I:

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or on temporary basis.

- (2) Members of the service shall be entitled to Time-Scale of pay under the provisions of orders issued by the Finance Department dated 24-1-2008 from time to time.
- **6. Method of recruitment.** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely: -
- (a) by direct recruitment through Competitive Examination;
- (b) by promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV:
- (c) by transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the State Government.
- (2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule(l) shall not at any time exceed the percentage specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (l), if in the opinion of the appointing authority, the exigencies of the service so require, the appointing authority may with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in sub-rule (3), as it may by order issued in this behalf, prescribe.
- 7. Appointment to the Service. All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no

such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment. – In order to be eligible for competitive examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(1) Age.-

- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next, following the date of commencement of the examination.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of a candidate belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -
 - (i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.
 - (ii) A candidate who is holding a temporary post and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.
 - (iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 5 years.

Explanation-: The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in a temporary Government Service of

the State or of any of the constituent unit for a continuous period not less than six months and who are discharged because of reduction in establishment not more than three year prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- Explanation: The term "ex-servicemen" denotes a person, who belonges to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service: -
 - (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on:-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrollment;
 - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officer).
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
 - (6) Ex-servicemen invalidated out of the service.

- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
- (v) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter Caste Marriage Incentive programme.
- (vi) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widows, destitute and divorced woman candidates.
- (vii) The upper age limit shall be relaxable up to maximum period of five years in respect of Vikram Awarded Holder candidate.
- (viii) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidate who are employees of the Madhya Pradesh State/ Corporation/Board.
- (ix) The upper age limit shall be relaxable up to a Maximum of two years in respect of Green Card Holder candidate under the family planning programme.
- (x) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for a period of service rendered so by them subject to the limit of three years but in no case their age should exceed 45 years.
- NOTE-(1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.
 - (2) In any case the maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided this

clause .The maximum age limit shall be calculated in accordance with the General Administration Department circular No. C-3-11/12/1/2, dated 03.11.12 and 20.11.12.

- (3) Departmental candidates must obtain previous permission from their Appointing Authority to appear for the selection.
- (2) Educational Qualifications- A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III.
- (3) Fees- The candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.
- 9. **Disqualifications.** -(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidatature by any means may be held by the Professional Examination Board to disqualify him appearing in the examination/selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to the service, who is married before the minimum age fixed for marriage.
- (3) As candidate shall not be eligible for appointment to the service or post, if he has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified or ineligible for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such cases are pending against in a court, then appointment of a candidate shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(5) A male candidate who has more than one wives alive and female candidates who marries with male who has already one wife alive shall not be eligible for appointment to the service or post.

- 10. Professional Examination Board's decision about the eligibility of candidates shall be final. The decision of the Professional Examination Board as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has been issued by the Professional Examination Board, shall be filled from other candidates without prior permission of the State Government and vacancies shall be allowed to appear in the examination/interview.
- 11. Direct Recruitment through Competitive Examination. (1) Selection/
 Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Commissioner/Director Handloom may in consultation with the Professional Examination Board, determine from time to time.
 - (2) The examination shall be conducted by the Professional Examination Board in accordance with such orders issued by the Commissioner/Director Handloom and Handicrafts may from time to time in consultation with the Board.
 - (3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for the direct recruitment shall be reserved for candidate who are member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively, this reservation shall be horizontal.
 - (4) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.
 - (5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names

appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (7) If a sufficient number of candidates are not available fill the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the remaining vacancies shall not be filled by other categories of candidates without prior permission of the State Government and these vacancies shall be kept vacant for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.
- (8) There shall be reservation for class III cadre posts for disabled candidates in accordance with circular No. 808-5/04/a/pra-1/ date 31-5-2005. (Hearing impairment 2 percent, Blindness or low vision 2 percent and Locomotors disability or Cerebral plasy 2 percent) shall reserved by the direction of the General Administration Department. Reservation system shall be horizontal and comportment-wise. Candidate appointed under this reservation would be shown against 100 point roaster.
- 12. List of candidates recommended by the Professional Examination Board. (1) The Board shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the Board and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order

in which their names appear in the list. The appointment shall be made in accordance with roaster as per rules.

- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.
- (4) The Appointing Authority should obtain character certificate from the candidates before issuing appointment order.
- (5) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Board which shall be extended for further period of six months with the consent of the Board.
- 13. Appointment by promotion. (1) There shall be constituted a committee for making a preliminary consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the departmental promotion committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

- (2) The Departmental Promotion Committee shall ordinarily meet at such intervals not exceeding six months as per orders issued by General Administrative Department dated 2.6.2013 and 12.5.2014.
- (3) For promotion of members of the service to the posts specified in Schedule IV, the eligibility of a candidate, selection procedure and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued by the General Administration Department from time to time.

14. Conditions for eligibility for promotions. -(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all the persons, who on 1st day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantively) on the posts from which the promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

- (2) For the zone of consideration for promotion, the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 shall apply.
- 15. Preparation of List of Suitable candidate. (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year starting from the date of preparation of select list. A reserve list of 25% of the members of persons included in the said list shall be prepared in order to fulfill unforeseen vacancies occurring during aforesaid period.
- (2) The name of person included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV, at the time of preparation of each select list.

Explanation: A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (3) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.
- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

- 16. Select list. (1) The Select list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule IV to posts specified in column (3) of the said Schedule.
- (2) The select list shall ordinarily be remain in force for a period of one year, until it is reviewed and revised according to sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the Service from the Select List. -(1) Appointments of the persons included in the select list to the post borne on the cadre of service shall be as per seniority and roaster. The reserved /unreserved post shall be filled against the prescribed point in the roaster. Reserved posts shall not be filled by any other cadre.

Note- The procedure of the selection list and the consecutive seniority and vacant post shall be carry forward as per the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and circular dated 6-7-2002.

- **18. Probation.-** Every person directly recruited to any cadre of the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- 19. Interpretation. If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.
- **20. Relaxation.** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply, in such manner as may appear to him to be it to just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to him than that provide in these rules.

- 21. Saving. Nothing contained in these rules, shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.
- **22. Repeal and Saving.** The Madhya Pradesh Directorate of Handloom, Non-Gazetted (Ministerial) Service Recruitment Rules, 1984 and the rules, corresponding of these rules, are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KUSUM THAKUR, Dy. Secy.

SCHEDULE-I
(See rule 5)
Classification of Service, Pay Scale and number of post included in the service

S.No.		Number	Classification	Scale of Pay
	included in the	of		
	service	Posts		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Superintendent	1	Madhya Pradesh Directorate of Handlooms Non- Gazetted (Ministerial) Service	9300-34800+ 3600
2.	Assistant Superintendent	6	-do-	9300-34800+ 3200
3.	Personal Assistant	4	-do-	9300-34800+ 3600
4.	Stenographer	4	-do-	5200-20200+ 2800
5.	Assistant Grade-I	9	-do-	5200-20200+ 2800
6.	*Assistant Grade-II	50	-do-	5200-20200+ 2400
7	Assistant Grade-III	58	-do-	5200-20200+ 1900
8.	Stenotypist	6	-do-	5200-20200+1900
9.	Driver	5	-do-	5200-20200+1900

Note:- * According to the decision regarding accountant/assistant grade II kept under same cadre the sonority of employee on the post of seniority of accountant will be decide above the Assistant Grade II.

SCHEDULE-II (See rule 6)

S.No.	Name of the Post	Total	Percentage of	Percentage of the number of post to be filled				
	included in the	No. of	, 0	in				
	service	Posts			·			
			By direct recruitment [see rule	By promotion [see rule	By transfer from other Services if			
			6(1)(a)]	6(1)(b)]	any			
					[see rule			
					6(1)(c)			
	:			,				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	ladhya Pradesh				-			
1	torate of Handlooms							
Non-G	Sazetted (Ministerial)							
	Service			<u> </u>				
1.	Superintendent	1	-	100%	-			
2.	Assistant	6	-	100%	-			
	Superintendent				<u> </u>			
3.	Personal Assistant	4		100%	-			
4.	Stenographer	4	50%	50 %	-			
5.	Assistant Grade-I	9	••	100%	-			
6.	*Assistant Grade-II	50	•••	100%	-			
7.	Assistant Grade-III	58	75%	25%	-	Promotion shall		
						be given through the qualified Class IV employee		
8.	Stenotypist	6	100%		-			
9.	Driver	5	100%	-				

Note:- * According to the decision regarding accountant/assistant grade II kept under same cadre the sonority of employee on the post of seniority of accountant will be decide above the Assistant Grade II.

SCHEDULE-III (See rule 8)

Age and Eligibility for Direct Recruitment

Name of	Name of the post	Minimum	Maximum	Minimum Educational Qualification	Remarks
Department	or service	Age Limit	Age Limit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Madhya	Madhya Pradesh				
Pradesh	Directorate of				
Directorate	Handlooms Non- Gazetted			•	
of	(Ministerial)				-
Handlooms	Service				
1.	Assistant Grade-III	18 years	40 years	1. Must have passed Higher Secondary (12 th)	
		•	1	under the (10+2) pattern.	
				2. Hindi Typing examination from recognized	
		ĺ		institute with speed of 25 word per	
` .				minute/Passed English typing examination from	
		-		a recognized Institution with a speed of 30	
	·			words per minute.	
		,		3. Must have passed Computer examination	
				from any of the Following recognized institute:-	
	٠.			(1)Diploma from any Universities recognized by	
				UGC.	
				(2)Diploma from Open Universities recognized by	
				UGC	
		·		(3) Diploma level examination from DOEACC	
			-	(4) Modern office Management Course from	
				Government Polytechnic College.	
2.	Stenographer	18 years	40 years	1.Must have passed Higher Secondary (12 th)	•
·			•	under the (10+2) pattern.	
	•			2. Candidate must passes the English/Hindi	
			-	Shorthand at a speed of 100 words per minutes	
				from any recognized institution/council.	
				3.Passed Computer examination from any of the	
				Following recognized institute:-	
		-		(1)Diploma from any Universities recognized by	
				UGC.	
				(2)Diploma from Open Universities recognized by	
	*			UGC	
. 1			,	(3) Diploma level examination from DOEACC	
ĺ				(4) Modern office Management Course from	1
	Ctonotivist	40	40	Government Polytechnic College.	\
3.	Stenotypist	18 years	40 years	1.Must have passed Higher Secondary (12 th	<i>'</i>
			•	under the (10+2) pattern.	
				2. Hindi Typing examination from recognized	
-				institute with speed of 25 word per minute/	
				Passed English typing examination from a	
				recognized Institution with a speed of 30 words	
	j			per minute.	
				1 11/19 _1	,
	,			(a) Must have passed Hindi shorthand	i i
				examination with the speed of 80 word pe	1
			-	minute from ITI. or	1

				(b) Must have passed Hindi shorthand examination with the speed of 80 word per minute from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or any other recognized Institute; or 3.Passed Computer examination from any of the Following recognized institute:- (1)Diploma from any Universities recognized by UGC. (2)Diploma from all Open Universities recognized by UGC (3) Diploma level examination from DOEACC (4) Modern office Management Course from Government Polytechnic College.	
4.	Driver	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (12 th) under the (10+2) pattern. Valid Driving Licence.	

SCHEDULE-IV (See rule 14)

Name of the	Name of the Post	Name of Post to	Minimum period	Name of Members of	
Department	from which	which promotion	of service for .	Departmental Promotion	
	Promotion is to be	is to be made	promotion	Committee	
	made				
(1)	(2)	(3)	(4)	5	
Madhya Pradesh Directorate of Handlooms				1. Additional Director/ Joint Director, Gramodyog (Handloom / Technical) - Chairman 2/. Joint Director /	
1.	Assistant Superintendent	Superintendent	5 years	Deputy Director Gramodyog (Handloom / Technical) - Membe	
2.	Assistant Grade-I	Assistant Superintendent	5 years	(Hairdioon) Foormool	
3.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	3/. Joint Director /	
4.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	Deputy Director Gramodyog	
5.	Stenographer	Personal Assistant	5 years	(Handloom / Technical)	
6.	Stenotypist	Stenographer	5 years	In charge Establishment - Member	
7	Peon/Chowkidar	Assistant Grade-III	5 years	Wethber	
				4. One person nominated belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category - Member Secretary	

KUSUM THAKUR, Dy. Secy.